

request-95

By Regd. Post

From,

S. S. Gautam,  
Deputy Registrar(M),  
High Court of Judicature at,  
Allahabad.

To,

The District Judge,  
Jaunpur.

86

No. 12904 /TV-3018/Admin.(A) dated 16-09-2013

Subject: Grant of Three advance increments to those officers who have been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University.

Sir,

With reference to your letter no. J K 856/XV dated 06.06.2013, on the above subject, I have to say that from perusal of service record of Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur, it is found that he has selected without having two years degree of LL.M. as he has not mentioned LL.M. in the form of U.P Nyayik Sewa.

According to the Govt. order and approval of Hon'ble the Chief Justice, three advance increments only be given to those judicial Officers of U.P Nyayik Sewa and U.P.H.J.S., who have been selected on or after 21.03.2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University and for ensuring that who have been selected on or after 21.03.2002 having LL.M. degree who have mentioned this qualification in the application form of U.P Nyayik Sewa and U.P Higher Judicial Service, as the case may be.

I am therefore to request you kindly to intimate Sri Mridul Kumar Mishra that he has not fulfilled the required conditions, for grant of three advance increments.

Yours Faithfully,

*[Signature]*  
9.9.13  
Deputy Registrar

87

No. 12905 /IV-3018/Admin.(A) dated 16-09-2013

Copy forwarded for information to Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur.

*[Signature]*  
9.9.13  
Deputy Registrar

SO/AR (Admin. A-D) DR(M)  
May like to issue?

*[Signature]*  
07.09.2013  
ARO

*[Signature]*  
09/09/13.

*[Signature]*  
09-09-13  
AR

(47)

Sentral  
14-6-13

25.6.13  
26.6.13

10422

IV f-82  
(159) 22  
AUF

27-6-2013

प्रेषक,

राकेश कुमार-11  
जनपद न्यायाधीश,  
जौनपुर।

सेवा में,

श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा,  
निबन्धक (बजट),  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्रांक: 512856/46

दिनांक, जौनपुर : जून 06, 2013 ई0

विषय : उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों, जिन्होंने विधि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 7419/चार एडमिन (ए), दिनांकित, 25.05.2013 के संदर्भ में यह कहना है कि इस कार्यालय में दिनांक 31.05.2013 को उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उससे इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य परिचालित कराया गया। तदुपरान्त निम्नांकित न्यायिक अधिकारियों के आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और उनकी नियुक्ति दिनांक 21.03.2002 के पश्चात हुई है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राम सुलीन सिंह, अपर जिला जज/विशेष जज (ई0सी0एक्ट) जौनपुर।	28.02.2011
2.	श्री मृदूल कुमार मिश्र, अपर सिविल जज (सी0डि0) द्वितीय	22.12.2003
3.	श्री वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय, अपर सिविल जज (जू0डि0) प्रथम	16.07.2009

उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों के आवेदनपत्र मय संलग्नक माननीय उच्च न्यायालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्नक :  
यथा उपरोक्त

90 Adm (H/A)

12-6-13  
DR(M)

भवदीय,  
(राकेश कुमार-11)  
जनपद न्यायाधीश,  
जौनपुर।

Request-95

Request 95

प्रेषक,

मृदुल कुमार मिश्र,  
अपर सिविल जज(सी0डी0)द्वितीय,  
कोर्ट नं0-10,जौनपुर।

सेवा में,

माननीय निबन्धक,(बजट),  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,  
जनपद जौनपुर।

संदर्भ:-

परिपत्र सं0-7419/IV एडमिन (A) दिनांकित 25.05.2013 के संबंध  
में:-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार यह जानकारी वांछित है कि वह न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 21.03.02 के बाद सेवा में आये हैं और उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातकोत्तर उपाधि है। उनकी सूचना प्रेषित की जाय जिससे ऐसे न्यायिक अधिकारी को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदत्त की जा सके। इस संदर्भ में आपको सादर अवगत कराना है कि मैंने दिनांक 22.12.03 को न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है एवं मैंने काशी हिन्दू विश्व विद्यालय से वर्ष-1996 में विधि की स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मेरी नियुक्ति तिथि 22.12.03 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होने का आदेश प्रदत्त करने के लिये मेरे प्रार्थना-पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

दिनांक:03.06.2013

संलग्नक:-

1-विधि की स्नातकोत्तर उपाधि  
की छायाप्रति।

जौनपुर जलधिप  
पत्रांक:.....  
अप्रसारित:.....

भवदीय,  
09/06/13  
(मृदुल कुमार मिश्र),

अपर सिविल जज(सी0डी0)द्वितीय,

कोर्ट नं0-10,जौनपुर।

आई0डी0नं0-6092

जनपद न्यायाधीश  
जौनपुर।

Request-95

भाग 2.1

II परीक्षा अनुसूचक 329

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय:  
मास्टर ऑफ लॉज

इति नामा/नाम्नी

अस्य विश्वविद्यालयस्य सन् 1956 ईसवीयवत्सरे परीक्षायां द्वितीय श्रेण्यां समुत्तीर्य

मास्टर ऑफ लॉज पदवीं प्राप्तोदिति प्रमाण्यति ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय  
मास्टर ऑफ लॉज

प्रमाणित किया जाता है कि

सन् 1956 ईसवीयवत्सरे

ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की सन् 1956 ई. की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में

उत्तीर्ण होकर मास्टर ऑफ लॉज उपाधि प्राप्त की ।

BANARAS HINDU UNIVERSITY  
Master of Laws

This is to certify that

obtained the degree of Master of Laws in this University in the Examination of 1956, and that he/she was placed in the Second Class.

प्रमाण्यति

सचिव

[http://f1mail.rediff.com/prism/readmail?file\\_name=1297831162.S.665814.19091.F.H.WW...](http://f1mail.rediff.com/prism/readmail?file_name=1297831162.S.665814.19091.F.H.WW...) 2/16/2011

True copy  
self attested  
w/ Khush 03/06/12

4  
Bhat  
24/2/11

Santal  
24-2-11  
Encl-3

24.2.11

request 95  
S130

प्रेषक,

मृदुल कुमार मिश्रा  
अपर सिविल जज(सी0डि0)  
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

30/8  
42

31/3/11

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

31-7-12  
20-8-11  
24-8-13

द्वारा:

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,  
कानपुर नगर।

सन्दर्भ: स्नातकोत्तर उपाधिधारक को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी. सी. नियुक्ति अनुभाग-4 दिनांक 13/05/09 के अनुसार न्यायिक सेवा के उन सदस्यों को जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि है दिनांक 21.03.02 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होनी है के अनुसरण में जब मेरे द्वारा संयुक्त निदेशक शिविर कार्यालय नवीन कोषागार को वेतन पर्ची निर्गत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया तो उनके द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया है कि इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही वेतन पर्ची निर्गत की जा सकती है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे मेरी नियुक्ति तिथि दिनांक 22.12.03 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होने का आदेश प्रदत्त करने के लिए मेरे प्रार्थनापत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

798  
So Adm 1/1

दिनांक 18.2.2011

JR-(M)  
24-2-11

भददीय  
मृदुल कुमार मिश्रा  
अपर सिविल जज (सी0डि0)  
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

संलग्नक:

- 1-विधि स्नातकोत्तर की उपाधि
- 2-शासनादेश
- 3-संयुक्त निदेशक कोषागार को प्रेषित पत्र की छाया प्रति

JRCM

Withen 13 shut

कानपुर नगर जजशिप

पत्रांक संख्या 298/5 दिनांक 18 फरवरी 2011

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

Smr. Anand  
26/02/11

जनपद न्यायाधीश  
कानपुर नगर  
कक्ष संख्या 2 कानपुर नगर

request 95.

पत्र संख्या

II परीक्षा अनुसूची 329

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय  
मास्टर ऑफ लॉज

.....

इति नामा/नाम्नी

अध्यक्ष विश्वविद्यालयस्य, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, इति सन् १९६६ ईसवीयवत्सरे परीक्षायां द्वितीय श्रेण्यां समुत्तीर्य

मास्टर ऑफ लॉज पदवीं प्राप्तोदिति प्रमाणायति ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय  
मास्टर ऑफ लॉज

प्रमाणित किया जाता है कि

.....

ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की सन् १९६६ ई. की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में

उत्तीर्ण होकर मास्टर ऑफ लॉज उपाधि प्राप्त की ।

BANARAS HINDU UNIVERSITY  
Master of Laws

This is to certify that

.....  
obtained the degree of Master of Laws in this University in  
the Examination of 1966, and that he/she was placed in  
the Second Class.

.....

.....  
VICE CHANCELLOR

[http://f1mail.rediff.com/prism/readmail?file\\_name=1297831162.S.665814.19091.F.H.WW...](http://f1mail.rediff.com/prism/readmail?file_name=1297831162.S.665814.19091.F.H.WW...) 2/16/2011

True copy  
Self attested  
Md Anisul Hossain  
Civil Judge (A.S.)  
2/16/11

प्रेषक,

सुबुल कुमार मिश्रा  
अपर सिविल जज [सीओडो]  
कॉ सं०-२ कानपुर नगर।

Request - 95

सेवा में,

संयुक्त निदेशक सिविल कार्यालय,  
नवीन कोठागार,  
इलाहाबाद।

द्वारा- माननीय जनपद न्यायाधीश  
कानपुर-नगर।

संदर्भ:- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग [मिदटी कमीशन] द्वारा की  
गयी संरुतियों के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक  
21-3-02 के अनुपालन में उ० प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक  
न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये  
जाने के संबंध में।

महोदय,

आपको सतम्मान अवगत कराना है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश  
के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21-3-02  
के द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के सदस्यों को  
तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई है आपको सादर अवगत कराना है कि  
मेरे पास विधि को स्नातकोत्तर उपाधि धारक है और मुझे  
उक्त आदेश के तहत तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान होनी चाहिए।

अतः आपको अनुरोध है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में  
मेरे वेतन निर्धारण कर नयी वेतन पर्ची निर्गत करने का कष्ट करें।

दिनांक- 28/05/09

संलग्न:- शासनादेश

भवदीय  
सुबुल कुमार मिश्रा  
अपर सिविल जज [सीओडो]  
KANPUR NAGAR JUDGE SHIP  
कॉ सं०-२ कानपुर नगर।

No. 934/II dated 28/05/09.

Forwarded to the Joint Director,  
Treasuries, Camp. office, New Treasury Building,  
Allahabad.

District Judge,  
Kanpur-Nagar.

True copy  
Self submitted  
17/02/11

प्रेषक,  
कुंवर फतेह बहादुर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
महानिबंधक,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

Request 95

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वात्थूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

*Signature*

(कुंवर फतेह बहादुर)  
प्रमुख सचिव।

een.Circulate.  
and its copy to  
/c.Bills.

.J.  
0.5.2009.

Udayveer Singh	M.M. - VII	✓
Udayveer Marayan	M.M. - VIII	✓
Udayveer - II	M.M. - IX	✓
Udayveer Nath Singh	M.M. - X	✓
Udayveer Sanyal	Spl.M.M.	✓
Udayveer Khan	Spl.M.M.	✓



संख्या-1363(1)/दो-4-2007-45(12)/91वीसी, टा.पू.पि.नां.क.

प्रतिलिपि उपलिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार/निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक विज्ञानप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०,
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-निबंधन) अनुभाग-5,
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इरलावेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 15- रामस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीराम कुमार मिश्र, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड फाइल।

अज्ञा से,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)  
विशेष सचिव।